

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 492/2025

ईशाक खां बनाम सरकार

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं हल्का पटवारी तिलवाड़ा व मू.अ.नि. तिलवाड़ा मय तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रूपनगर तहसील पचपदरा की खाता संख्या 08 व 09 में प्रार्थी का नाम ईशाक खां पुत्र आदम खां सहखातेदारी में दर्ज है, जो कि रिकॉर्ड में अशुद्ध नाम दर्ज हो रखा है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम इंसाफ खां पुत्र आदम खां है, जो शुद्ध करवाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी का आवेदन व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमें पाया कि प्रार्थी का वर्तमान रिकॉर्ड में ईशाक खां पुत्र आदम खां सहखातेदारी में दर्ज है, इसके स्थान पर प्रार्थी इंसाफ खां पुत्र आदम खां दर्ज करवाने का अनुरोध चाहा है, जो कि स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया, जिससे साबित होता कि प्रार्थी नाम दुरुस्ती करवाने का हकदार हो। प्रार्थी के नाम दुरुस्ती करवाने के समर्थन में विवादित भूमि के सहखातेदारान द्वारा कोई समर्थन अर्थात् इकबाली जवाब पेश नहीं किया गया है, जिसके अभाव के कारण प्रार्थी का आवेदन को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, इसके अलावा पूर्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम अशुद्ध दर्ज होने का क्या आधार रहा, इसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाता है। प्रार्थी पृथक से वाद पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।



(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर बालोतरा